



संवैधानिक नैतिकता और लोकतांत्रिक शासन: भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में समकालीन चुनौतियाँ

डॉ. सुनील कुमार सूरुठिया¹

¹ (सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान), राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज पुलवारा बार, ललितपुर (उ.प्र.).

ABSTRACT:

संवैधानिक नैतिकता किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की आधारशिला होती है। यह न केवल संवैधानिक प्रावधानों के पालन पर बल देती है, बल्कि सत्ता के प्रयोग में नैतिक संयम, संस्थागत मर्यादा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा को भी सुनिश्चित करती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्र में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शोध पत्र भारतीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा, उसके दार्शनिक आधार, तथा समकालीन राजनीतिक चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन यह तर्क करता है कि संवैधानिक नैतिकता के क्षरण से लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर होती हैं, जबकि इसके सुदृढ़ होने से लोकतंत्र अधिक उत्तरदायी, समावेशी और स्थायी बनता है।

KEYWORDS:

संवैधानिक नैतिकता, लोकतांत्रिक शासन, संविधान, संस्थागत मर्यादा, भारतीय लोकतंत्र।

1. प्रस्तावना

लोकतंत्र केवल निर्वाचन प्रक्रिया तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक व्यापक नैतिक-संवैधानिक व्यवस्था है। किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सत्ता का प्रयोग संवैधानिक मर्यादाओं और नैतिक मूल्यों के अनुरूप किया जाता है या नहीं। भारत का संविधान राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने हेतु अनेक संस्थागत प्रावधान प्रदान करता है, परंतु उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संवैधानिक नैतिकता का होना अनिवार्य है।

समकालीन भारतीय राजनीति में संवैधानिक मूल्यों, संस्थागत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक परंपराओं को लेकर व्यापक चिंताएँ उभर रही हैं। यही कारण है कि संवैधानिक नैतिकता का प्रश्न आज राजनीतिक विमर्श के केंद्र में है।

2. संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा

संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य उस नैतिक दृष्टिकोण से है जिसके अंतर्गत संविधान के अक्षर और उसकी भावना—दोनों का सम्मान किया जाए। यह केवल कानून की अनुपालन नहीं, बल्कि सत्ता के प्रयोग में संयम और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा की बहसों में संवैधानिक नैतिकता को लोकतंत्र के लिए अनिवार्य बताया था। उनके अनुसार, संवैधानिक संस्थाएँ तभी प्रभावी हो सकती हैं जब उन्हें संचालित करने वाले लोग लोकतांत्रिक आचरण अपनाएँ।

3. संवैधानिक नैतिकता का दार्शनिक आधार

संवैधानिक नैतिकता निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है

- कानून के शासन में विश्वास
- शक्ति पर नैतिक नियंत्रण
- व्यक्तिगत अधिकारों और गरिमा का सम्मान
- अल्पसंख्यकों और विरोधी विचारों की सुरक्षा

यह अवधारणा उदार लोकतांत्रिक चिंतन से जुड़ी है जिसमें सत्ता को निरंकुश बनने से रोकना प्रमुख लक्ष्य होता है।

4. लोकतांत्रिक शासन और संवैधानिक नैतिकता

लोकतांत्रिक शासन में संवैधानिक नैतिकता की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है:

4.1 विधायिका

विधायिका का कर्तव्य केवल कानून बनाना नहीं, बल्कि संविधान की भावना के अनुरूप विधायी आचरण अपनाना भी है।

4.2 कार्यपालिका

कार्यपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह नीति-निर्माण और प्रशासन में संवैधानिक सीमाओं का पालन करे।

4.3 न्यायपालिका

न्यायपालिका संवैधानिक नैतिकता की संरक्षक के रूप में कार्य करती है और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करती है।

5. समकालीन चुनौतियाँ

आज भारतीय लोकतंत्र में संवैधानिक नैतिकता के समक्ष अनेक चुनौतियाँ हैं

- संस्थाओं का राजनीतिकरण
- बहुमतवाद की प्रवृत्ति
- संवैधानिक मर्यादाओं की अवहेलना
- असहमति के प्रति असहिष्णुता

ये प्रवृत्तियाँ लोकतांत्रिक संस्कृति को कमजोर करती हैं।

6. संवैधानिक नैतिकता और नागरिक भूमिका

लोकतंत्र केवल संस्थाओं के माध्यम से नहीं चलता, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भूमिका भी अत्यंत आवश्यक होती है। संवैधानिक नैतिकता का पोषण निम्नलिखित माध्यमों से संभव है:

- नागरिक चेतना और संवैधानिक शिक्षा
- स्वतंत्र मीडिया
- सशक्त नागरिक समाज
- लोकतांत्रिक विमर्श की संस्कृति

7. संवैधानिक नैतिकता की पुनर्स्थापना

भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है कि:

- संस्थागत स्वायत्तता को सुरक्षित रखा जाए

- संवैधानिक मूल्यों को राजनीतिक आचरण में समाहित किया जाए
- लोकतांत्रिक असहमति को स्वीकार किया जाए

संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक नैतिक संहिता भी है।

8. उपसंहार

संवैधानिक नैतिकता भारतीय लोकतांत्रिक शासन की आत्मा है। इसके बिना लोकतंत्र केवल प्रक्रियात्मक ढाँचे तक सीमित रह जाता है। यह शोध -पत्र इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि समकालीन राजनीतिक चुनौतियों के समाधान के लिए संवैधानिक नैतिकता को पुनः राजनीतिक आचरण के केंद्र में लाना अनिवार्य है। संविधान के आदर्शों और लोकतांत्रिक नैतिकता का समन्वय ही एक सशक्त, उत्तरदायी और समावेशी लोकतंत्र की आधारशिला रख सकता है।

REFERENCES

1. अम्बेडकर, डॉ. बी.आर., *संविधान सभा वाद-विवाद*, भारत सरकार।
2. Austin, Granville, *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*.
3. Baxi, Upendra, *The Crisis of the Indian Legal System*.
4. Dicey, A.V., *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.
5. भारतीय संविधान, भारत सरकार।